:: आदेश ::

नाबार्ड द्वारा विभिन्न बैठकों में अवगत कराया जाता है कि बैंक अपने वाह्य वित्तीय संसाधनों में वृद्धि सावधि जमा योजनाओं के माध्यम से करें। वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में सावधि जमा के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति सन्तोषजनक नहीं रही है। सावधि जमा में प्रगति हेतु शाखाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु सावधि जमा की वृद्धि में सकारात्मक वृद्धि नहीं हो पा रही है। नाबार्ड द्वारा किये गये 24वॉ स्वैच्छिक निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि बैंक ने भण्डारी कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अपनी कुल जमा राशियों का न्यूनतम 15 प्रतिशत तरण आवरण नहीं रखा गया। सावधि जमा के पुनर्भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिस कारण सावधि जमा अनुभाग के स्वतंत्र रुप से कार्य कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

उक्त के परिपेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सावधि जमा अनुभाग को लेखा अनुभाग में विलय कर समस्त कार्यो का संचालन लेखा अनुभाग द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रबन्धक श्रेणी–3(लेखा) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सावधि जमा के भुगतान हेतु शाखा द्वारा मॉगी गई धनराशि विलम्बतम 2 दिन के भीतर सम्बंधित शाखा को भेज दी जाये।

समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देर्शित किया जाता है कि उनके द्वारा सावधि जमा के पुनर्भुगतान हेतु धनराशि की मॉग **ई–मेल** द्वारा भी की जा सकती है।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांक 17960 /स्थापना/2017–18 दिनांक : 05.02.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
3. उपमहाप्रबन्धक(आई0टी0सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि सावधि जमा के पुर्नभुगतान हेतु धनराशि की मॉग की सचना लेखा अनुभाग को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

05.02.18

(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)